संख्या-141/2018/1097/26-3-2018-10(36)/2012

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 27 अप्रैल 2018

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत संचालित अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों की सहायता योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-04/ज.जा.वि./ 2018-19, दिनांक-05.04.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-81 के **लेखाशीर्षक-"2225-02-796-15-**अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों की सहायता 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' मद में प्राविधानित धनराशि **रूपया-13.44 लाख (रूपया तेरह लाख चौवालिस हजार मात्र)** धनराशि की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष आवंटन व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग किया गया हो और कोई धनराशि पी0एल0ए0/ बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-''2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-15-
अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों की सहायता-20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च 2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-141/2018/1097(1)/26-3-2018- तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।

2-प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3-मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।

4-निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।

5-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-3

6-वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2

7-बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।

8-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।